पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी

Taking a bite out of crime 24/7

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाए

नकली शराब बनाने वाले गिरोह को स्प्रिट की सप्लाई करने वाले 3 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने पिछले दिनों पकड़ी थी अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रि

झाँसी : नकली शराब बनाकर गाहिनों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले गिरोह के अंतरीजी आरोपी तक पहुँचने के लिए पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उसका ही नतीजा है कि पुलिस ने शराब बनाने वाली को स्प्रिट की सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रेमनगर की बिजौली पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा था, जिसमें स्प्रिट से भरा एक प्लास्टिक का जार बरामद हुआ था। एक आरोपी को पकड़ लिया था, जबकि कुछ भाग गए थे। पूछताछ में आरोपी ने बड़ा राज खोलते हुए बताया था कि थाना बड़ागाँव क्षेत्र के एक मकान में नकली शराब की फैक्ट्रि चल रही है। वहाँ पर वह स्प्रिट सप्लाई करने जा रहे थे। इसके बाद प्रेमनगर पुलिस ने थाना बड़ागाँव व आबकारी विभाग की टीम के साथ उक्त मकान पर दबिश देकर नकली शराब बनाने की फैक्ट्रि के साथ ही वहाँ तमी मशीनें, रेपर, खाली बोतल, शराब की खाली बोतल, ढक्कन आदि के साथ ही नकली शराब बरामद कर ली थी। नकली शराब बनाने वाले की निशानदेही पर उन सप्लायरों लाइसन्सी देसी शराब की दुकानों पर भी दबिश दी थी, जहाँ से नकली शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने फैक्ट्रि चलाने वाले के साथ ही ठेके के सेल्समैन, रेपर, खाली बोतल छापने वाले समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद टैक्टर की भी पकड़ लिया था। पुलिस अधीक्षक (नगर) ब्रजेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मिलावटी शराब बनाने वाले गिरोह की जड़ों में कुछ नाम सामने आए थे, जिसमें प्रेमनगर थाना इलाके निरीक्षक शिव कुमार यादव ने स्प्रिट की सप्लाई करने वाले मेसर्स टाटनीरा निवासी जीतवान, वर्तमान के ग्राम बड़ौरा निवासी रामसिंह राजपूत व पाडौली कौलोनी निवासी साहिल को डिजौली के ओल सेण्टर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पहले दिन ग्राम में से जाने जा रही स्प्रिट को पकड़ा था, तो कार में सवार जौलान, रामसिंह व साहिल भाग गए थे। उन्होंने बताया कि वह तीन माह अवैध से स्प्रिट तोकर लाते थे, अब उनकी भी तलाश की जा रही है।

नकली शराब के मामले में तीन और हत्थे चढ़े

अमर उजाला फॉलोअप

अमर उजाला ब्यूरो

झाँसी। पिछले दिनों पुलिस ने बड़ागाँव थाना इलाके के ग्राम बराठा में नकली देसी शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी थी। यहां बनने वाले शराब की पेटी की एक सप्लायरी दुकान में बिकी होने पाई थी थी। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।

अब इस मामले में तीन और लोगों को गिरफ्तारी की गई है। एसपी सिटी डॉनेट कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने भेल टाउनशिप निवासी जीतवान, वर्तमान के ग्राम बड़ौरा निवासी राम सिंह और वर्तमान को पंजाबी कौलोनी निवासी साहिब उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। उ

जेल भेज गए थे तक कार भी बरामद की गई है। तीनों मध्य प्रदेश स्प्रिट लाकर नकली शराब बनाने वाले को सप्लाई करते थे। पिछले छह महीनों में तीन बार उन्होंने स्प्रिट की सप्लाई की। तीनों की बिजौली ओल सेंटर से पकड़ा गया है।

550 लीटर कच्ची शराब सहित पकड़ा युवक

कर्बीला। कर्बीला थाना के भेल चौकी अंतर्गत गांव पमरौआ में होली खाप के निकट जंगल में कुर्सी में भरी 550 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 2000 किलोग्राम लहन, शराब भट्टी को पुलिस ने नष्ट किया। इस दौरान पमरौआ निवासी बुद्धराम पुत्र भानु को चौकी से गिरफ्तार किया गया। जबकि सुखचरन, छालू सिंह एवं भानु उमाव भाग निकले। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दबिश देने वाली टीम में कर्बीला थाना प्रभारी अशोक तिवारी, उपनिरीक्षक शिवकीत सिंह, उपनिरीक्षक सतीश कुमार, अदितम कुमार, कृष्ण मुरारी शामिल रहे। संवाद

सैकड़ों लीटर अवैध शराब हजारों लीटर लहन जब्त

- जंगल में टिकाने पर पुलिस के लाख-जोड़ छापे
- एक भट्टा नष्ट, दो शातिर भागने में रहे सफल

झांसी (कर्बीला), संवाददाता। गोरखधंधा गुलाब के मद्देनजर पुलिस सजग मोड़ पर है। इसी कड़ी में कोतवाली कर्बीला के दोनों खाप चौकी क्षेत्र के जंगल में मद्देनिकले शराब के ठिकानों पर छापा मारा। जहां से बैरकुंडों लीटर अवैध शराब बरामद की गई। यहां हजारों लीटर लहन को जब्त कर नष्ट किया गया।

थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी, चौकी प्रभारी शिवकीत सिंह, एसआई अनिल सिंह, अदितम कुमार, कृष्ण मुरारी, अरुण प्रताप, लखनऊवा पांडे, सुनिल कुमार पुलिस बल के साथ दोनों खाप चौकी क्षेत्र के जंगल में ढेरों पर पहुंचे। जहां डुबकेरा खाप गया। अलग-अलग में यहां कार्रवाई की गई। साथ ही 2000 लीटर लहन भी जब्त कर नष्ट किया गया। दो भट्टी सहित कई उपकरण बरामद किए हैं। थाना पुलिस के अनुसार चौके से सुखचरन उर्फ कालू सिंह, छालू, भानुप्रताप सिंह भाग गए हैं। उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपी से बरामद अवैध शराब।